

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संस्था- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संस्थानक: दिनांक: 16-5-2019

- कार्यालय जाप -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अग्रतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश शर्तों की पुष्टि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के माद-2 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

"ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्डिनलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

आतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नान्वित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश शर्त	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश शर्त
1	2728	समिपूरन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर साक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शर्तों की नवीनतम बरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (0000) प्रतियोगिता शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाना (निर्देशावली-2000) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शिबिरों को भी प्रवेश दिया जाएगा। शिबिरों में प्रवेश सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट आसपास के अनुसूचित विधिवत एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (0000)सी/0000 से संबंधी सौं हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल्पित नये विधि/विधियों/अधिनियमों/आसपास/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रतियोगिता शिक्षा, 0000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 0000 तथा प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, 0000 द्वारा कल्पित नये विधियां, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को विधि बाध होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यों/पाठ्यक्रम की-संबंधी यदि किसी-कार्य में दिल्ली से अनुसूचित प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संयुक्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था राज्य सरकारों होगी। प्रतियोगिता शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतियोगिता शिक्षा निर्देशालय एवं प्रतियोगिता शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई तरह कायम किया जाता है तथा प्रवेश तथा के संबंध में या, आसपास द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संयुक्त प्रतिक्रिया संबंधी संस्था को जाननी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यों/पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा-निर्दिष्ट प्रवेश होने के पूर्व (0000)सी/0000 से अनुसूचित प्राप्त का अधिनियम के-अनुसार को-उपस्था करना होगा अन्यथा प्रवेश की (कार्यालयिक) के अधिनियम से-सम्बन्ध संस्था उत्तर प्रदेश प्रवेश अनुसूचित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत तदोक्त आदेशों विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संयुक्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक विवरण, संस्था, मान-संस्था, संयुक्त, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विस्तृत प्रकाशन करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त आसपास उपलब्ध करने के साथ रेविड, रोकने के सम्बन्ध में संयुक्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/संयुक्त पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति के-सम्बन्ध आसपास कार्य में अधिनियम, सुनि-संयुक्त, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के-संबंध में प्रयोग किया जाता है और अधिनियम को इसकी जायकारी होती है कि संस्था उपस्था का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सहाय किया जाने की अनुसूचित की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचित-सम्बन्ध कार्यवाही की जाएगी।

(संयुक्त सूचना शिक्षा)
सचिव

सूचना- प्रवेश/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक 15-8-2019

प्रतियोगिता-प्रधान-कार्य/निदेशक, मान-संस्था इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नीक एण्ड मैनेज, लखनऊ।

(संयुक्त सूचना शिक्षा)
सचिव

**कार्यालय,
राज्य परामर्शिका शिक्षा परिषद,
पटना प्रदेश, सारणसिक**

पत्रांक— प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

संलग्नक दिनांक 15-8-2020

कार्यालय द्वारा-

राज्य सरकार के अन्तर्गत शिक्षा परिषद, जो शिक्षा, बोर्डों/कार्यालय और सुविधाएँ नए दिल्ली द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को अनुदान प्रदान किए जाने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, पटना राज्य के अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2020-21 को आवंटित ₹50 करोड़ों का अनुदान, पूर्व से स्वीकृत संस्थाओं को अनुदान विस्तार/व्यवस्था/प्रदेश के अन्य शिक्षा संस्थानों को अनुदान प्रदान करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान प्रदान करने के निर्णय किए गए।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के बाद-3 में दिनांक 15-8-2020 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, पटना द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान प्रदान करने के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई। सम्बद्धता समिति द्वारा चयन विचार-विचार कर निर्णय लेने के निर्णय किए गए-

राज्य सरकार के अन्तर्गत शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, पटना द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान प्रदान करने के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई। सम्बद्धता समिति की बैठक के बाद-3 में दिनांक 15-8-2020 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, पटना द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान प्रदान करने के संदर्भ में कार्यवाही शुरू की गई। सम्बद्धता समिति द्वारा चयन विचार-विचार कर निर्णय लेने के निर्णय किए गए-

दिनांक 14-08-2020 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में चयन हेतु चयनित संस्थाओं को अनुदान में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, पटना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित राशि के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करने के निर्णय किए गए।

क्र. सं.	परिषद का नाम	संस्था का नाम	अनुदान का नाम	राशि/प्रतिवर्ष 2020-21 में अनुदान प्रदान किया	राशि/प्रतिवर्ष 2020-21 में अनुदान प्रदान किया
1	प्राथमिक शिक्षा परिषद, पटना	राज्य परामर्शिका शिक्षा परिषद, पटना	राज्य परामर्शिका शिक्षा परिषद, पटना	50	50

सम्बद्धता हेतु सूची

- ✓ वर्ष 2020-21 के अनुदान प्रदान करने के लिए निर्धारित की गयी राशि का पूर्णतः वापस करेगी।
- ✓ वर्ष 2020-21 के अनुदान प्रदान करने के लिए निर्धारित की गयी राशि का पूर्णतः वापस करेगी।

(Handwritten signature/initials)

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय प्राय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोम स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 संखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पवेश समता वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 संखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विप्लोम/कित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2726-RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22600.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनोदेश प्रसारकी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की ~~समस्या~~ ~~दर~~ लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30/90) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त पवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही पवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनोदेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से जागामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनोदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/90, संयुक्त पवेश परिषद परिषद, 30/90 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के निवे संयुक्त होगी।
- ✓ विप्लोम इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में संयुक्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त पवेश

